तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26-2-2021	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी पेशकार सरकार उपस्थित पेशकार सरकार जवाब पेश किया प्रार्थी प्रेमचन्द का साक्ष्य शपथपत्र पेश किया शा० का किया गया प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली कियमत अमल होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मांडेरी (बूंदी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.16 15:05:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज0)

37 / प्रा0पत्र / 19 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनाकं 09.08.2019 — श्री प्रमोद कुमार(R.A.S.)

1 प्रेमचन्द आयु 56 वर्ष आ0 श्री हजारी लाल जाति मीना ग्राम रामपुरिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
2 मोहन लाल आयु 56 वर्ष आ0 श्री हजारी लाल जाति मीना ग्राम रामपुरिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
3 रामप्रसाद आयु 58 वर्ष आ0 श्री हजारी लाल जाति मीना ग्राम रामपुरिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
4 कमला आयु 54 वर्ष आ0 श्री हजारी लाल जाति मीना ग्राम रामपुरिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
5 रामजानकी आयु 52 वर्ष आ0 श्री हजारी लाल जाति मीना ग्राम रामपुरिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0) ...प्रार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)
2 बून्दी चित्तोड़गढ़ क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक तत्कालीन वर्तमान बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रिय बैंक शाखा सुमेरगंजमण्ड़ी जर्ये शाखा प्रबन्धक ...अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज</u>

निर्णय दिनांक 26.02.2021

प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खाता संख्या 42 खसरा न.116 रकबा 4.05 हैक्टेयर, खसरा न. 116 / 164 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा न. 1[illegible] 0.44 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 4.51 हैक्टेयर कृषि भूमि चक ग्राम रामपुरिया तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.16 15:05:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

है वर्णित कृषि भूमिया प्रार्थीगण की माता जगन्नाथी बाई पुत्री माधो मीणा के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज थी। प्रार्थीगण की माता जगन्नाथी बाई का दिनांक 20.01.2015 को देहान्त होने के पश्चात् फौती इन्तकाल दिनांक 24.07.2015 से नामान्तकरण संख्या 158 से प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज हुई। प्रार्थीगण की माता जगन्नाथी बाई के पति व हमारे पिता का नाम हजारीलाल अंकित था राजस्व कर्मचारियों द्वारा हमारी माता जगन्नाथी बाई के पति व हमारे पिता का नाम हजारीलाल के स्थान पर भूरा सहवन त्रुटिवश राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 04.06.2019 को इन्तकाल की नकल निकलवाने पर उक्त त्रुटि का ज्ञान हुआ राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश प्रार्थीगण के पिता का नाम हजारीलाल के स्थान पर भूरा अंकित होने से हम प्रार्थीगण को ऋण,बैंक लेनदेन,लगान पिलाई इत्यादि में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। और अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में भूरा के स्थान पर हजारीलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता का नाम भूरा के स्थान पर हजारीलाल किया जाता है तो राज्य पक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ता है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र कें समर्थन में प्रार्थी प्रेमचन्द ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069, फौती नामान्तकरण संख्या 158 दिनांक 24.07.2015, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 ग्राम रामपुरिया सत्यापित प्रतिया पेश की साथ ही जगन्नाथी बाई का मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत गुढा की वारिसान प्रमाण पत्र जगन्नाथी बाई पत्नी हजारी का पहचान पत्र, राशन कार्ड की प्रति, प्रार्थी प्रेमचन्द,मोहनलाल,रामप्रसाद,कमलाबाई के पहचान पत्रो की छायाप्रति पेश की गई।

हमारे द्वारा प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ... बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ... कथन किया कि प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.16 15:05:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

की माता जगन्नाथीबाई की मृत्यु पश्चात फौती इन्तकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश प्रार्थीगण के पिता का नाम हजारीलाल के स्थान पर भूरा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया जो गलत है जिसे सही किया जाकर प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में हजारीलाल किया जावें।

हमारे द्वारा प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066 – 2069 से स्पष्ट है कि वर्णित भूमि जगन्नाथीबाई के खाते मे दर्ज थी। जगन्नाथीबाई की मृत्यु से जर्ये फौती इन्तकाल वर्णित भूमि प्रार्थीगण के खाते दर्ज हुई। जगन्नाथीबाई के मृत्यु प्रमाण पत्र व प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत फोटो पहचान पत्रो से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता का नाम हजारीलाल था। एवं सरकार पैरोकार द्वारा अपने जवाब में प्रार्थना का स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार इन्द्रगढ़ को निर्देश दिए जाते है कि खाता संख्या 42 खसरा न.116 रकबा 4.05 हैक्टेयर, खसरा न. 116/164 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा न. 139 रकबा 0.44 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 4.51 हैक्टेयर कृषि भूमि वाके ग्राम रामपुरिया तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित दर्ज राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम भूरा को विलोपित किया जाकर उसक स्थान पर हजारीलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.16 15:05:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner